

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) कोरबा एवं रायगढ़ के लिये 02 नग नवीन वाहन क्रय हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 2 से 3

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रांश राशि ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4 से 6

स्वच्छ भारत अभियान हेतु कुल राशि ₹ 168.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 7

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 8 से 9

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनांतर्गत ₹ 300.00 लाख का अतिरिक्त राज्यांश व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10 से 11

नेशनल मिशन ऑन ऑइल सीड एन्ड आइल पाम योजनांतर्गत अतिरिक्त राज्यांश ₹ 28.19 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 28,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

केन्द्र क्षेत्रीय उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन योजनांतर्गत अव्ययित राशि के उपयोग हेतु ₹ 10.14 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13

केन्द्र प्रवर्तित एन एम एस ए स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट योजनांतर्गत स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरण कार्य पर ₹ 22.24 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14 से 15

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) अंतर्गत अतिरिक्त राज्यांश ₹ 415.23 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,15,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16 से 17

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 299.86 लाख का राज्यांश व्यय संभावित है केन्द्रांश हेतु ₹ 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है । केन्द्रांश हेतु आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,99,86,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 18

राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 19 से 20

नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजनांतर्गत ₹ 187.50 लाख अतिरिक्त केन्द्रांश तथा ₹62.50 लाख अतिरिक्त राज्यांश व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 21

दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 18.95 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 22 से 23

डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजनांतर्गत ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु कुल राशि ₹ 52.07 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 52,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3275

मद क्रमांक 24

निःशुल्क लैपटॉप एवं टेबलेट के प्रदाय हेतु ₹ 335.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,35,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 25 एवं 26

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर के ट्रामा यूनिट के उन्नयन हेतु ₹ 525.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 27

11 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु ₹ 313.61 लाख (लागत प्रति भवन ₹ 28.51 लाख) का व्यय संभावित है ।

क्र.	जिला	विकासखण्ड	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
1	रायपुर	आरंग	चरोदा हाट
2	बलौदा बाजार	पलारी	बिनौरी
3	बलौदा बाजार	पलारी	चरोदा
4	बलौदा बाजार	पलारी	गातापार
5	रायगढ़	सारंगगढ़	छोटे खैरा
6	रायगढ़	सारंगगढ़	देवगांव
7	बेमेतरा	नवागढ़	बदनारा
8	बेमेतरा	नवागढ़	पेन्ड्री
9	जांजगीर चांपा	पामगढ़	बुंदेला
10	जांजगीर चांपा	अकलतरा	तागा
11	मुंगेली	मुंगेली	देवरी

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,13,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 28

उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यों के लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु ₹ 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 29

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यों के लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु ₹ 275.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 30

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यों के लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु ₹ 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

2. लवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु ₹ 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 60,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 31

जिला मुंगेली में शासकीय आवासगृह (4 ई-टाईप, 6 एफ-टाईप, 12 जी-टाईप, 6 एच-टाईप एवं 12 आई-टाईप) निर्माण (लागत ₹ 265 लाख) हेतु इस वित्तीय वर्ष में ₹ 53.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 32 एवं 33

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु ₹ 4000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।